डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 83] रायपुर, शनिवार , दिनांक 6 अप्रैल 2002—चैत्र 16, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 3 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2002

वित्तीय वर्ष 2002-2003 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) अधिनियम, 2002 है.

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये राज्य की संचित निधि में से 84,71,82,06,000 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग *आठ हजार चार सौ इकहत्तर करोड़, बयासी लाख, छः हजार रुपया* होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)		(3)		(4)
			रुपये	रुपये	रुपये
..	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी ऋण सेवा.	राजस्व	0	9,22,55,34,000	9,22,55,34,000
..	भारित विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	0	13,97,99,03,000	13,97,99,03,000
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	32,65,70,000	3,30,26,000	35,95,96,000
		पूंजी	11,00,000	0	11,00,000
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	2,78,34,000	0	2,78,34,000
03	पुलिस	राजस्व	2,91,62,64,000	16,51,000	2,91,79,15,000
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	2,08,73,000	0	2,08,73,000
05	जेल	राजस्व	19,72,25,000	0	19,72,25,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,82,42,02,000	75,000	4,82,42,77,000
		पूंजी	13,00,05,000	0	13,00,05,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	69,41,75,000	7,01,13,000	76,42,88,000
		पूंजी	25,05,000	0	25,05,000
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	98,47,47,000	41,45,000	98,88,92,000
		पूंजी	4,08,15,000	0	4,08,15,000
09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,43,23,000	0	4,43,23,000
		पूंजी	56,75,000	0	56,75,000
10	वन	राजस्व	2,57,36,55,000	2,55,75,000	2,59,92,30,000
		पूंजी	2,02,50,000	0	2,02,50,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	13,39,04,000	15,000	13,39,19,000
		पूंजी	2,11,12,000	15,00,000	2,26,12,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	87,31,60,000	10,00,00,000	97,31,60,000
		पूंजी	15,00,00,000	0	15,00,00,000
13	कृषि	राजस्व	91,21,19,000	5,50,000	91,26,69,000
		पूंजी	54,30,000	0	54,30,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	47,80,10,000	1,00,000	47,81,10,000
15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	25,05,34,000	0	25,05,34,000
		पूंजी	59,50,000	0	59,50,000
16	मछली पालन	राजस्व	5,17,60,000	1,00,000	5,18,60,000
17	सहकारिता	राजस्व	9,69,92,000	0	9,69,92,000
		पूंजी	17,39,04,000	0	17,39,04,000

(1)	(2)		(3)		(4)
			रुपये	रुपये	रुपये
18	श्रम	राजस्व	8,19,32,000	3,85,000	8,23,17,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	1,87,91,65,000	7,64,000	1,87,99,29,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	1,32,09,12,000	5,00,000	1,32,14,12,000
		पूंजी	20,80,00,000	0	20,80,00,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	17,44,93,000	0	17,44,93,000
		पूंजी	89,15,00,000	0	89,15,00,000
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय निकाय.	राजस्व	72,12,000	0	72,12,000
23	जल संसाधन विभाग	राजस्व	82,80,97,000	1,00,000	82,81,97,000
		पूंजी	2,44,49,56,000	5,00,000	2,44,54,56,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	1,28,36,50,000	13,00,000	1,28,49,50,000
		पूंजी	55,02,00,000	2,70,000	55,04,70,000
25	खनिज साधन से संबंधित व्यय	राजस्व	15,66,14,000	50,000	15,66,64,000
		पूंजी	75,00,000	0	75,00,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	3,12,48,000	0	3,12,48,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	6,37,19,36,000	0	6,37,19,36,000
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	8,42,11,000	15,50,000	8,57,61,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	36,25,92,000	3,98,30,000	40,24,22,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,09,36,93,000	1,03,000	1,09,37,96,000
		पूंजी	60,56,00,000	0	60,56,00,000
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	6,79,18,000	0	6,79,18,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	13,85,38,000	0	13,85,38,000
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	2,98,72,82,000	1,00,000	2,98,73,82,000
34	समाज कल्याण	राजस्व	7,28,68,000	40,000	7,29,08,000
35	पुनर्वास	राजस्व	1,09,19,000	50,000	1,09,69,000
		पूंजी	56,18,000	0	56,18,000
36	परिवहन	राजस्व	9,31,48,000	5,000	9,31,53,000
37	पर्यटन	राजस्व	1,70,00,000	0	1,70,00,000
		पूंजी	4,26,00,000	0	4,26,00,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,87,16,95,000	1,00,000	1,87,17,95,000
		पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,04,00,000	0	1,04,00,000
		पूंजी	1,11,00,000	0	1,11,00,000
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	4,05,15,38,000	0	4,05,15,38,000
		पूंजी	1,86,98,25,000	5,00,000	1,87,03,25,000
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	59,81,44,000	5,00,000	59,86,44,000

(1)	(2)			(3)	(4)
			रुपये	रुपये	रुपये
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	1,71,74,000	0	1,71,74,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	89,36,00,000	55,000	89,36,55,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	10,28,60,000	0	10,28,60,000
		पूंजी	20,97,10,000	0	20,97,10,000
46	विज्ञान और टेक्नालॉजी	राजस्व	97,46,000	0	97,46,000
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन	राजस्व	42,14,17,000	0	42,14,17,000
	विभाग.	पूंजी	14,90,000	0	14,90,000
48	ग्याहरवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन	राजस्व	19,27,87,000	0	19,27,87,000
	का उन्नयन अनुदान.	पूंजी	21,23,63,000	0	21,23,63,000
49	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	13,88,77,000	1,000	13,88,78,000
50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,00,95,000	0	1,00,95,000
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	63,30,000	10,000	63,40,000
53	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक	राजस्व	1,02,64,000	0	1,02,64,000
	योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	राजस्व	16,72,90,000	0	16,72,90,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	1,13,46,91,000	0	1,13,46,91,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	12,17,14,000	0	12,17,14,000
		पूंजी	38,25,000	0	38,25,000
57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें.	पूंजी	4,50,00,000	0	4,50,00,000
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में	राजस्व	1,38,40,91,000	20,00,000	1,38,60,91,000
	राहत पर व्यय.	पूंजी	1,67,71,000	0	1,67,71,000
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूंजी	13,88,00,000	0	13,88,00,000
61	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें.	राजस्व	4,25,10,000	0	4,25,10,000
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक	राजस्व	1,04,30,53,000	0	1,04,30,53,000
	योजना.	पूंजी	54,67,81,000	0	54,67,81,000
65.	विमानन विभाग	राजस्व	3,96,50,000	0	3,96,50,000
		पूंजी	7,50,000	0	7,50,000
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	18,90,95,000	0	18,90,95,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	80,44,51,000	6,00,000	80,50,51,000
		पूंजी	36,15,54,000	0	36,15,54,000
68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	पूंजी	40,38,34,000	0	40,38,34,000

(1)	(2)			(3)	(4)
			रुपये	रुपये	रुपये
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण.	राजस्व	4,88,43,000	0	4,88,43,000
		पूंजी	3,36,00,000	0	3,36,00,000
71	पशुपालन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	राजस्व	1,98,29,000	0	1,98,29,000
		पूंजी	50,000	0	50,000
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	27,00,00,000	0	27,00,00,000
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	50,00,000	0	50,00,000
77	बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों का विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	राजस्व	8,00,00,000	0	8,00,00,000
78	ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	राजस्व	5,13,24,000	0	5,13,24,000
		पूंजी	50,00,000	0	50,00,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	48,03,54,000	4,00,000	48,07,54,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	2,29,80,74,000	0	2,29,80,74,000
		पूंजी	17,40,000	0	17,40,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	1,93,52,15,000	6,00,00,000	1,99,52,15,000
		पूंजी	6,00,00,000	0	6,00,00,000
82	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	95,93,81,000	0	95,93,81,000
		पूंजी	64,50,000	0	64,50,000
83	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	2,55,76,000	0	2,55,76,000
		योग-राजस्व	**51,03,16,99,000**	**9,56,88,27,000**	**60,60,05,26,000**
		योग-पूंजी	**10,13,45,07,000**	**13,98,31,73,000**	**24,11,76,80,000**
		वृहद-योग	**61,16,62,06,000**	**23,55,20,00,000**	**84,71,82,06,000**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य संचित निधि पर भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
तारीख 14 फरवरी, 2002

रामचन्द्र सिंहदेव
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.